19-4-22 आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी के वादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली में अवाज दिलवाई कोई भी उपस्थित नहीं आये। इससे प्रतीत होता है वादी वाद चलाना ही नहीं चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेक्शन हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.01.27 17:28:19 IST
Reason: SelfAttested